पंजाब केसरी
FRI,08 AUGUST 2025
EDITION: PATIALA KESARI, PAGE NO. 4

ई.एस.आई.सी. ने 'स्प्री योजना-2025' के लिए जागरूकता सैमीनार का किया आयोजन

मंडी गोबिंदगढ़, 7 अगस्त (सुरेश): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'स्प्री योजना-2025' के अंतर्गत मंडी गोबिंदगढ़ में एक विशेष जागरूकता सेमीनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अब तक पंजीकरण से वंचित नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. के तहत लाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करना था।

सेमिनार में ऑल इंडिया स्टील री-रोलर्स एसोसिएशन, फर्नेस एसोसिएशन, पंजाब ट्रेड यूनियन फेडरेशन, भारतीय मजदूर संघ एवं विभिन्न नियोजकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मंडी गोबिंदगढ़ शाखा कार्यालय के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी फूल चंद एवं शाखा प्रबंधक हरविंदर सिंह द्वारा किया गया।

ई.एस.आई.सी. द्वारा 'स्प्री योजना-2025' पर करवाए सेमीनार का दृश्य। (सुरेश)

कार्यक्रम में बताया गया कि 'स्प्री योजना' 1 जुलाई 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना के तहत संविदा एवं अस्थायी श्रमिकों सहित उन सभी कर्मचारियों को योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश बीमा सुरक्षा से वंचित थे। यह योजना विशेष रूप से उन नियोक्ताओं के लिए उपयोगी है, जिन्होंने अभी तक अपनी इकाइयों या कर्मचारियों को ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत नहीं किया है।

इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता बिना किसी निरीक्षण या पूर्व बकाया की मांग के स्वयं अपनी इकाई का ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। ई.एस.आई. पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एम.सी.ए. पोर्टल के माध्यम से यह पंजीकरण डिजिटल रूप से किया जा सकता है।

घोषित तिथि को ही पंजीकरण वैध माना जाएगा और पूर्व अवधि के अंशदान या रिकार्ड की कोई मांग नहीं की जाएगी।

सैमीनार में ई.पी.एफ.ओ. के प्रवर्तन अधिकारी तुषार सिंह ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में जानकारी दी। यदि कोई नया कर्मचारी एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक ई.पी.एफ.ओ. के अंतर्गत पंजीकृत होता है, तो उसे 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 2 किस्तों में 6 महीने और 12 महीने की नौकरी पूरी करने पर मिलेगी। साथ ही संबंधित नियोक्ताओं को भी अधिकतम 3,000 रुपए प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अंत में सभी उपस्थित प्रतिनिधियों ने ई.एस.आई.सी. की 'स्प्री योजना-2025' और ईपीएफओ की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की सराहना करते हुए इसे श्रमिक हित में एक सराहनीय प्रयास बताया।